

प्रमाणित प्रतिलिपि

प्रधान सहायक अंचल कार्यालय
पाकुड़ अंचल
आधिकृत १८७७ के अधिनियम (एफ)
के अधिनियम ७८ के अन्तर्गत

दाखिल-खारिज जॉच प्रतिवेदन प्रपत्र

जिला-पाकुड़

हल्का सं० ५४

हस्तान्तरण की गयी भूमि का क्षेत्रफल— ००-०१-१०

निबंधन सं० १९३३

अनुमंडल-पाकुड़

थाना सं० १२८

निबंधन तिथि— ०४/०६/१५

अंचल-पाकुड़

ग्राम का नाम— ५१६८

मूल्य— ५,५५,०००/-

दाखिल-खारिज के पूर्व का खाता

जमाबंदी रैयत का नाम/पिता/पति का नाम एवं पता	खाता सं०	प्लॉट सं०	क्षेत्रफल			सलाना लगान	अभ्युक्ति
			बिघा	कड्डा	धुर		
अंकुर नेहरा वीर पिला रहिया कमल मिश्वा ५१६८	४८४	१३९५ १३९६	१०-१-०४			५.३५	६१८

दाखिल-खारिज के बाद का खाता

जमाबंदी रैयत का नाम/पिता/पति का नाम एवं पता	खाता सं०	प्लॉट सं०	क्षेत्रफल			सलाना लगान	अभ्युक्ति
			बिघा	कड्डा	धुर		
अंकुर नेहरा वीर पिला रहिया कमल मिश्वा ५१६८	४८४	१३९५ १३९६	०९-१९-१४			५.१८	६१८

नामांतरण होने वाली भूमि का विवरणी

जमाबंदी रैयत का नाम/पिता/पति का नाम एवं पता	खाता सं०	प्लॉट सं०	क्षेत्रफल			सलाना लगान	अभ्युक्ति
			बिघा	कड्डा	धुर		
प्रथम पक्ष— अंकुर नेहरा वीर १३९५ पौरा नाम छही- १३९६	४८४	१३९६	००-०१-१०			०.२०	
द्वितीय पक्ष— अंकुर नेहरा वीर १३९६ नाम छही- १३९५							

(1) पंजी- ॥ के रैयत का नाम:- अंकुर नेहरा वीर

(2) खतियानी रैयत का नाम:- रामापाट उपाध्याच पिला अंकुर चंद्र उपाध्याच



(3) खतियान के आधार पर मौजा विक्रयशील है अथवा नहीं ? केतु शिंक।

(4) विक्रेता द्वारा भूमि विक्री की अनुमति प्राप्त की गयी है अथवा नहीं ? —

(5) विक्रेता आदिवासी है अथवा गैर-आदिवासी ? १९२३।८।८।१५।

(6) खतियानी रैयत से पंजी—।। के रैयत का संबंध :— पौरी समस्थानी।

(7) विक्रेता का जमाबंदी रैयत से संबंध :— केतु।

(8) विक्रेता ने क्या अपने हिस्से की भूमि विक्री की है ? केतु।

(9) क्या विक्रेता का आवेदित भूमि पर शांतिपूर्ण दखल था ? केतु।

(10) भूमि पर क्रेता के दखल का स्वरूप :— २०।८।४।

(11) क्या आवेदित भूमि/जंगल झाड़ी/गोचर है ? केतु।।

(12) क्या आवेदित भूमि गैर-मजरुआ खास/आम/कैसरे हिन्द/भू हडबंदी/लीज/अर्जित/विभागीय है ? केतु।।

(13) विक्रयशील का आधार खतियान में दर्ज है या नहीं है ? केतु।।

(14) भूमि का वर्तमान स्वरूप (यथा नदी, नाला, सड़क, पहाड़ उपजाऊ आदि) — सेवनी दिल्ली।

(15) हल्का कर्मचारी का मन्तव्य :— ज्ञानीया ५।९।४।। १२४।८५ लिखनी गोठाई। आवेदन १९१०।८।४।।
→ अठुखारैपती है। केतु।। आवेदन १५।८।४।४। प्राप्त करोड़ों गोठाई। पौरी समस्थानी।
निर्देश दिल्ली।। १९१३।८।४।१२। इसी दिन जिम्मा आवेदन १९१०।८।४।४।४।
→ दोषी चंद्र निवारण द्वारा आवेदन दिल्ली आवेदन १९१०।८।४।४।४।
इस दिन दिल्ली आवेदन को लुप्तीप्राप्त करने वाला आपात नियमों के द्वारा क्रेता
को दोषी नहीं। जिम्मा आवेदन।।

(16) अंचल निरीक्षक की स्पष्ट अनुशंसा :—

स्पष्ट शिक्षा
जब एक से जान्ये कठिनेहो दे जात्याहै
परन्तु II के लिए जिस वर्षी की स्पष्ट शिक्षा
जो एक से जान्ये को कठिनीप्राप्त करती है वही जात्याहै
जो एक से जान्ये की लिए वही जात्याहै।



प्रमाणित प्रतिलिपि

प्रधान सहायक अधिकारी कार्यालय
पाकड़ अंचल
अधिकृत १९७७ के अधिनियम (एफ)
के अधिनियम ७८ के अन्तर्गत



सरकार भ नहाता इस्टटा के आभिधारित के नामांतरण से संबंधित शुद्धपत्र


क्रम संख्या	पंजी 27 का नामांतरण क्रमांक	नौजा का नाम	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकवा	होल्डिंग नं० (पुराना)	अनुशासित लगान	नामांतरण का आधार	नामांतरण मजुर करने वाला प्राधिकार एवं आदेश तिथि	नामांतरण से प्रभावित विनियय का पूर्ण व्योरा	नामांतरण के बाद हॉकू दसा कायम की गई तथा शुद्धिकरण की तिथि
४८५	४८६	३९६	०००७०	६१०	०.२०	१९२३	१९२३	प्रधानमंत्री प्रतिलिपि	१९२३-१९२४	१०० रुपये बाबू लाल कुमार द्वारा दिया गया	१९२३-१९२४



प्रतिलिपि : हल्का कर्मचारी, हल्का नं० को अनुपालनार्थ प्रेषित

51

अंचल अधिकारी
पाकुड़।



कार्यालय अंचल अधिकारी, पाकुड़

नोटिस बनाम

सोलह आना देव

सातो पाँडु थाना पाँडुजिला पाकुड़
यू वजरीए इस नोटिस के द्वारा आगाह किया जाता
है कि आवेदक/आवेदिका सोलह आना देव
पिता/पति कृष्णमु दासाधी के द्वारा
नामांतरण हेतु आवेदित भूमि के दावा के संबंध में सुनवाई
दिनांक ०१/४/१५ को १०.०० बजे पूर्वाहिन
में की जाएगी। आपत्ति पत्र निर्धारित तिथि व समय पर प्राप्त नहीं
होने की स्थिति में एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा।
इसे ताकिद जानें।

भूमि की विवरणी

अंचल अधिकारी

पाकुड़

४/३/१५

मौजा

जमाबंदी/खाता नं०

दाग/प्लॉट नं०

रकवा

पाँडु

५४५

१३९६ ००-०१-१०



प्रमाणित प्रतिलिपि

प्रमाण सहायक अंचल कार्यालय
पाकुड़ अंचल
अधिकृत १८/७/१५ के अधिनियम (एफ)
के अधिनियम ७८ के अन्तर्गत



- ① श्रावण मुहूर्त
- ② मानजर अली
- ③ Swaraj Kumar
- ④ अनील कुमार येष
- ⑤ Anil Kumar
- ⑥ दिनेश पादव

जनरल का लाइन बिल राजा
ब्रह्माचिल भूमि



प्रमाणित प्रतिलिपि

प्रधान सचिव अंचल कार्यालय
पाकुड़ अंचल
जानवर १८७० के अधिनियम (एफ)
के अधिनियम ७८ के अन्तर्गत



सेवा में,

अंचल अधिकारी,

पाकुड़।

विषय :— नामांतरण के संबंध में।

प्रमाणित प्रतिलिपि

प्रधान सहायक अंचल कार्यालय
पाकुड़ अंचल
अप्रैल १९७७ के आधिनियम (एफ)
के अधिनियम १८ के अन्तर्गत

महाशय,

सादर निवेदन करना है। कि निम्नलिखित विवरणी की
भूमि क्रयपत्र / दानपत्र / वसीयतनामा / बंटननामा स्वत्ववाद
सं 1973 दिनांक 4/6/1974 के द्वारा प्राप्त
कर मैं शांतिपूर्वक दखलकार हूँ

मौजा	थाना नं०	जमाबंदी नं०	दाग नं०	रकवा
पाकुड़	128	484	1398	00-01-10

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त भूमि का
नामांतरण स्वीकृत कर सरकारी लगान-रसीद निर्गत करने की
कृपा की जाए।

अनुलग्नक :



विश्वासभाजन

Mr. Mukhik Ansari



विवरण	रु.	पैसा
दरखारस्त शुल्क 6.50X1	6.	50
अनुसंधान शुल्क 10.50X6	63.	00
अन्य शुल्क 2.80X6	13.	20
फोलियो-		
सादा कागज-		
नकशा शुल्क-		
नकल शुल्क-		
अन्य शुल्क-		
पृष्ठों की संख्या-		
योग	82.	10
लप्ता (शब्दों में)	पैसा 82.10	
मात्र		
पुस्तक एवं प्रिप्ट, अंचल कार्यालय पाकड़		
जिला- पाकुड़ (झरखण्ड)		





(1799)

11-7-18
12-7-18

14-फारम सं 562

आदेश फलक

(देखे अभिलेखहस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक : ता० से तक

अंचल :- पाकुड़ (सदर), जिला - पाकुड़

वार्ड नं. ८४ / २०।५।५ वार्ड का प्रकार : नामांतरण

आदेश की क्र० सं० और तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के संबंध में टिप्पणी तारीख सहित
17।७।१५	<p>आवेदक/आवेदिका रजिस्टर रवाना प्रिंट/पति मोर क्लॉप (२९८५ अंसार) सा० १९२८।८।६। थाना १८८।५२ जिला ५४८ ने नामांतरण हेतु निम्नलिखित विवरणी की भूमि का आवेदन-पत्र समर्पित किया है :- मौजा थाना सं० जमाबंदी/खाता दाग/प्लॉट नं० रकवा पाकुड़ १२८ ४८४ १३९६ ००-०१-१०</p>	
२४।७।१५	<p>उपर्युक्त विवरणी की भूमि के नामांतरण के संबंध में हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक २५।७।१५ को उपस्थापित करें।</p> <p>अंचल अधिकारी, पाकुड़।</p> <p>अभिलेख उपस्थिति। हल्का कर्मचारी तथा अंचल निरीक्षक से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन अभिलेखवद्ध हैं। जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। सोलह आना रैयत को आपत्ति हेतु सूचना निर्गत करें। अभिलेख दिनांक २५।७।१५ को उपस्थापित करें।</p> <p>अंचल अधिकारी, पाकुड़।</p> <p>अभिलेख उपस्थिति। सोलह आना रैयत को निर्माता नोटिस का तामिला अभिलेखवद्ध हैं किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई आपत्ति पत्र प्राप्त नहीं हैं। अभिलेख आदेश हेतु दिनांक २५।७।१५ को रखें।</p> <p>अंचल अधिकारी, पाकुड़।</p> <p>अभिलेख उपस्थिति। हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेखवद्ध हैं। इन्होंने प्रतिवेदित किया है कि आवेदित भूमि निर्वंधित क्रयपत्र/दानपत्र/वसीयतर्तीमा/स्वत्ववाद सं० बंटननामा १९८४ दिनांक ५।६।१५ के द्वारा प्राप्त कर आवेदक जमीन के दखलकार हैं। आवेदित भूमि चालू पंजी-११ में हॉल्डिंग नं० ६१०।५२ के पृष्ठ ५।६।१५ के नाम से दर्ज हैं, जो वर्तमान विक्रेता के ५।६।१५।११।११ के द्वारा प्राप्त हैं। आवेदित भूमि खतियान के अनुसार रैयती हैं तथा विक्रयशील हैं। भूमि, भू-दान, भू-हथबंदी, सैरात, गैर मजूरआ, आम</p>	
६।८।१५		



प्रमाणित प्रतिलिपि
प्राप्ति संस्करण संचयन कार्यालय
पाकुड़ अंचल
अधिकृत १८७७ के अधिनियम (एफ)
के अधिनियम ७८ के अन्तर्गत



आदेश की क्र०
सं० और तिथि

जापरा भारतीय अधिकारा का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कारवाई के संबंध में
टिप्पणी तारीख सहित

खास, गौचर, केशर हिन्दु तथा सार्वजनिक / सरकारी उपक्रम के अधिग्रहण से मुक्त हैं। इन्होंने यह भी प्रतिवेदत किया है कि प्रासंगिक भूमि पर आवेदक का शांतिपूर्ण दखल कब्जा है इसलिए नामांतरण की अनुशंसा किया है।

अतः हल्का कर्मचारी / अंचल निरीक्षक के अनुशंसा के आलोक में लगान वसूली की दृष्टिकोण से आवेदित भूमि मौजा ५१४५ के खाता सं०
..... ४८६ दाग सं० १३१६ के रकवा ००-०१-१०
के नामांतरण किया जाता है, जिसका लगान ०.२०
रुपये अलावे शेष होगा। जमीन की विस्तृत विवरणी निम्नवत् है :-

मौजा थाना सं० जमाबंदी सं० दाग सं० रकवा लगान

५१४५ १२८ ४८६ १३१६ ००-०१-१० ०.२०

तदनुसार शुद्धि पत्र निर्गत करें तथा हल्का कर्मचारी से अनुपालन प्रतिवेदन की माँग करें।

अंचल अधिकारी,
पाकुड़।

अभिलेख उपस्थिति। हल्का कर्मचारी के द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त हैं। अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

अंचल अधिकारी,
पाकुड़।



प्रमाणित प्रतिलिपि

मध्यन सहायक अंचल कार्यालय
पाकुड़ अंचल
आधिकृत १०.१०.७७ के अधिनियम (एफ)
के अधिनियम ७८ के अन्तर्गत



दाखिल-खारिज जाँच प्रतिवेदन प्रपत्र

जिला-पाकुड़

अनुमंडल-पाकुड़

अंचल-पाकुड़

हल्का सं- ५A

थाना सं- १२८

ग्राम का नाम- ५१५८

हस्तान्तरण की गयी भूमि का क्षेत्रफल- ००-०१-१०

हस्तान्तरण प्रकार- निकृष्ट दैवता

निबंधन सं- १९८५

निबंधन तिथि- ०४.०६.१५

मूल्य- ५, ५५, ०००

दाखिल-खारिज के पूर्व का खाता

जमाबंदी रैयत का नाम/पिता/पति का नाम एवं पता	खाता सं०	प्लॉट सं०	क्षेत्रफल			सलाना लगान	अभ्युक्ति
			बिघा	कड़ा	धुर		
१	२	३	४			५	६
अंतुन नेमा वीरा पिता एवं वासिनी अपार्ण साठ पाकुड़	५८४	१३९५ १३९६	०७-१४-१८ २-०७-१६ १०-०२-१५			५.५५	६१०

दाखिल-खारिज के बाद का खाता

जमाबंदी रैयत का नाम/पिता/पति का नाम एवं पता	खाता सं०	प्लॉट सं०	क्षेत्रफल			सलाना लगान	अभ्युक्ति
			बिघा	कड़ा	धुर		
१	२	३	४			५	६
रूपेश. ८१०.५ पाकुड़	५८४	१३९५ १३९६	०७-१४-१८ ०२-०६-०६ १०-०१-०४			५.३५	६१०

नामांतरण होने वाली भूमि का विवरणी

जमाबंदी रैयत का नाम/पिता/पति का नाम एवं पता	खाता सं०	प्लॉट सं०	क्षेत्रफल			सलाना लगान	अभ्युक्ति
			बिघा	कड़ा	धुर		
प्रथम पक्ष - अंतुन नेमा वीरा अपार्ण पाकुड़ ४८४	४८४	१३९६	००-०१-१०			०.२०	
द्वितीय पक्ष - अंतुन नेमा वीरा अपार्ण पाकुड़ ५८४							

८१० रुपये

(1) पंजी- १ के रैयत का नाम :- अंतुन नेमा वीरा

(2) खतियानी रैयत का नाम :- अंतुन नेमा वीरा उपाध्याय पिता अंतुल चन्द्र उपाध्याय

प्रमाणित प्रतिलिपि

प्रमाणित सहायक अंचल कार्यालय
पाकुड़ अंचल
अधिकृत १८७७ के अधिनियम (एफ)
के अधिनियम ७८ के अन्तर्गत



(3) खतियान के आधार पर मौजा विक्रयशील है अथवा नहीं ? दिक्षिणी |

(4) विक्रेता द्वारा भूमि विक्री की अनुमति प्राप्त की गयी है अथवा नहीं ? —

(5) विक्रेता आदिवासी है अथवा गैर-आदिवासी ? गैर आदिवासी |

(6) खतियानी रैयत से पंजी- ॥ के रैयत का संबंध :- ठोसी (वभव नहीं) |

(7) विक्रेता का जमाबंदी रैयत से संबंध :- वभव |

(8) विक्रेता ने क्या अपने हिस्से की भूमि विक्री की है ? है |

(9) क्या विक्रेता का आवेदित भूमि पर शांतिपूर्ण दखल था ? है |

(10) भूमि पर क्रेता के दखल का स्वरूप :- भोजपुरी |

(11) क्या आवेदित भूमि/जंगल झाड़ी/गोचर है ? नहीं |

(12) क्या आवेदित भूमि गैर-मजरुआ खास/आम/कैसरे हिन्द/भू हदबंदी/लीज/अर्जित/विभागीय है ?

(13) विक्रयशील का आधार खतियान में दर्ज है या नहीं है ? नहीं |

(14) भूमि का वर्तमान स्वरूप (यथा नदी, नाला, सड़क, पहाड़ उपजाऊ आदि) - प्लानी ट्रॉपोर्न

(15) हल्का कर्मचारी का मन्तव्य :- जो ज्ञा १५६४ १२४ ७५ दिक्षिणी जो आहै आवेदन करा
१९८५।। रे भनुलार रैपती है। दिक्षिणी अनावंदी ३५८ ८८ ४२, पोरा ४९ ५०८
कृजो ज्ञाना बे पाल नॉर्मल मैनामा १९३५ रुटार निमाइ
आवेदन: जुनी १९८२ लालोग रा मैनामा १९८२ रुटार अंडी आवेदनी
शुभी है। लग्न लालोग लालोग रा रुपार्सारा रुटार आवेदन रा
छोली द्वारा द्वारा द्वारा द्वारा द्वारा

(16) अंचल निरीक्षक की स्पष्ट अनुशंसा :-



प्रमाणित प्रतिलिपि

अंचल सहायक अंचल कार्यालय
पालिया अंचल
अधिकृत १९७७ के अधिनियम (एफ)
के अधिनियम ७८ के अन्तर्गत

प्रमाणित
अंचल सहायक अंचल कार्यालय
पालिया अंचल
अधिकृत १९७७ के अधिनियम (एफ)
के अधिनियम ७८ के अन्तर्गत

OM

लालोग

→ सरकार में निहीत इस्टेटों के अधिभारित के नामान्तरण से संबंधित शुद्धिपत्र

क्रम सं०	पंजी 27 का नामान्तरण क्रमांक	नामान्तरण से संबंध का पूरा व्योरा	नामान्तरण का आधार	नामान्तरण मंजुर करने वाला प्राधिकार एवं आदेश तिथि	नामान्तरण से प्रभावित विनियय का पूरा व्योरा	नामान्तरण के बाद हॉकॉ द्वारा कायम की गई तथा शुद्धिकरण की तिथि	अभियुक्त



प्रतिलिपि : हल्का कर्मचारी, हल्का नं० को अनुपालनार्थ प्रेषित

अंचल अधिकारी
पाल





कायालिय अंचल अधिकारी, पाकुड़

नोटिस बनाम सोलू आना रैत०

सा० ५१२७९ थाना ५१२७९ जिला पाकुड़
 यू वजरीए इस नोटिस के द्वारा आगाह किया जाता
 है कि आवेदक/आवेदिका शशिकांत सोलू
 प्रिता/पति सोलू सोलू रेत० के द्वारा
 नामांतरण हेतु आवेदित भूमि के दावा के संबंध में सुनवाई
 दिनांक ०१/४/१५ को १०.०० बजे पूर्वाहन
 में की जाएगी। आपत्ति पत्र निर्धारित तिथि व समय पर प्राप्त नहीं
 होने की स्थिति में एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा।
 इसे ताकिद जानें।

अंचल अधिकारी

पाकुड़
५१२७९

भूमि की विवरणी

मौजा
पाकुड़
१२४

जमाबंदी/खाता नं०

५८५

दाग/प्लॉट नं०

१३९६ ००-०१-१०



प्रमाणित प्रतिलिपि
 प्रधान सहायक अंचल कायालिय
 पाकुड़ अंचल
 अधिकृत ७८७७ के अधिनियम (एफ)
 के अधिनियम ७८ के अन्तर्गत



(१) ७१८५८ ०१८...

(२) Amir Hamza

(३) अमिर मली

(४) लोट्टी लेव

(५) AMIT KUMAR JHA

जमानी का नाम जमानी
झारखण्ड -



प्रमाणित प्रतिलिपि

प्रधान सहायक अंचल कानूनी
पालुड़ अंचल
अधिकृत १८७७ के अधिनियम (एफ)
के अधिनियम ७८ के अन्तर्गत



सेवा में,

अंचल अधिकारी,

पाकुड़।

विषय :- नामांतरण के संबंध में।

प्रभापित प्रतिलिपि

प्रधान सचिवक अंचल कार्यालय
पाकुड़ अंचल
अधिकृत १८७७ के अधिनियम (एफ)
के अधिनियम ७८ के अन्तर्गत

महाशय,

सादर निवेदन करना है। कि निम्नलिखित विवरणी की
भूमि क्रयपत्र / दानपत्र / वसीयतनामा / बंटननामा स्वत्ववाद
सं १९७४ दिनांक ५/६/०१४ के द्वारा प्राप्त
कर मैं शांतिपूर्वक दखलकार हूँ

मौजा थाना नं०

जमाबंदी नं०

दाग नं०

रकवा

पाकुड़ १२९

५४५

१३१६ ००-०१-१०



अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त भूमि का
नामांतरण स्वीकृत कर सरकारी लगान-रसीद निर्गत करने की
कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

रघुनाथ चान्द

अनुलग्नक :